झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–149 वर्ष 2017

कमल कृष्ण बिसई .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य

2. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम

3. जिला पंचायती राज अधिकारी, सिंहभूम पूर्व

4. प्रखंड विकास अधिकारी, घाटशिला, सिंहभूम पूर्व

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री पार्थ एस0ए0 स्वरूप पति, अधिवक्ता

उत्तरदातागण के लिए :– ए0ए0जी0 का जे0सी0

3 / 31.1.2017 याचिकाकर्त्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

याचिकाकर्त्ता ने तर्क किया है कि मौजा–पुंगोरा के ग्राम प्रधान स्वर्गीय हेम चंद्र बिसई की मृत्यु के बाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 74ए के प्रावधानों संदर्भ में ग्राम प्रधान की नियुक्ति प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा नहीं की गई है। यह निवेदन किया जाता है कि गांव के रैयतों द्वारा अनुलग्नक–1 के रूप में आवेदन दिया गया है और इसके बाद अभ्यावेदन अनुलग्नक–4 और 5 द्वारा भी दिए गए हैं। याचिकाकर्त्ता उसी गांव का निवासी होने के नाते छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908

की धारा 74ए के संदर्भ में मौजा–पुंगोरा, घाटशिला, जिला–पूर्वी सिंहभूम में ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए प्रतिवादी संख्या–2 को निर्देश देने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

उत्तरदाता राज्य के वकील ने कहा कि मामले में निर्देश प्राप्त नहीं किए गए हैं क्योंकि यह जनवरी, 2017 के दूसरे सप्ताह में ही दायर किया गया है। हालांकि, रिट याचिका का निपटारा किया जा सकता है, ताकि याचिकाकर्त्ता की शिकायत को प्रतिवादी सं0–2, उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम द्वारा प्रभावित पक्षों को नोटिस जारी करने एवं उचित जांच के बाद कानून के अनुसार उस पर विचार किया जा सके।

पार्टियों के निवेदनों एवं संबंधित सामग्रियों पर विचार करने के बाद, इस स्तर पर रिट याचिका को लंबित रखने के बजाय, जैसा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 74ए के प्रावधानों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी/प्रतिवादी सं0–2, उप–आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम द्वारा निर्वहन के लिए आवश्यक शक्ति काएक वैधानिक तरीका है, याचिकाकर्त्ता को उसके समक्ष अपनी शिकायत उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि ग्रामीणों और/या अन्य पात्र इच्छुक व्यक्तियों द्वारा ऐसा अभ्यावेदन किया जाता है, तो प्रतिवादीसं0–2 उचित समय के भीतर उचित जांच एवं प्रभावित पक्षों को नोटिस के बाद कानून के अनुसार उस पर विचार करेगा।

तद्नुसार, रिट याचिका का निपटान किया जाता हैं

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)